



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०पु० झालिवर ।

पकरणा क्रमांक
II/गिरनी/श्योपुर/भ०/2018/0751

श्री. राम कौर साह
प्रस्तुत 27/1/18
प्रस्तुत 8.2.18 नियत
दिनांक 27/1/18

संस्कृत भाषा कार्य
शास्त्रसंबंधीय विभाग
27/1/18

/2018 निगरानी ₹ श्योपुर

- १५ - तेवा तिंह पुत्र मामवन्द ,
आयु 53 वर्ष , च्यवसाय- कृषि
- १६ - धर्म सिंह पुत्र मामवन्द ,
आयु 51 वर्ष , च्यवसाय- कृषि
निवासीणा ग्राम गोठरा, तहसील करावत
जिला श्योपुर ₹ म०पु०
- आवेदकगण

वनाम

- १७ - रामकृष्णी पत्नी श्री रघुवीर जाति गोणा
- १८ - काइदी बेबा रामस्वरूप जाति रावत
- १९ - शिवप्रताद पुत्र पृभू लाल, जाति रावत
- २० - हुगीव पुत्र श्री पृभूलाल, जाति रावत
- २१ - बृजेश पुत्र श्री पृभूलाल, जाति रावत
- २२ - त्रिवेणी देवी पुत्री श्री फूदीलाल
- २३ - मिश्रीदेवी पुत्री श्री फूदीलाल
- २४ - रमेश पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण
- २५ - गायत्री पुत्री हरिप्रसाद
- २६ - गिरधर गोपाल पुत्र जी डिप्रताद
तपस्त निवासीणा ग्राम गोठरा, तहसील
करावत , जिला श्योपुर ₹ म०पु०
- २७ - पिस्ताबाई पत्नी श्री सुरेश
निवासी ग्राम जाखदा, तहसील करावत ,
जिला श्योपुर ₹ म०पु०
- २८ - सन्तोष पत्नी श्री दिलक्ष्मी
निवासी ग्राम तिळसुरी, तहसील करावत,
जिला श्योपुर ₹ म०पु०





- 2 -

112//

₹ 13/- लिख एक छो चेतू

निवासी ग्राम जाखदा, तहसील कराहल

जिला श्योपुर ₹ ३०५०/-

₹ 14/- ३०५० रातन

---- अवैद्यकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०५० भू-राजस्व संदित्ता ,
किल्ड आदेश दिनांक 29-8-2017 को अपर कलेक्टर ,
जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10712-13 स्वयं
निगरानी में पारित किया ।

-----0-----

माननीय महोदय,

अवैद्यकगण / निगरानीकालिंगा को आगे से
निगरानी अवैद्यकगण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

उपर बता निम्न प्रकार पेशा है :-

(3)

—3—

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- दो/निगरानी/श्योपुर/भू.रा./2018/0751

सेवा सिंह आदि विरुद्ध रामवती आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/5/19	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक अभिभाषक श्री आर0 सी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक शासकीय अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 10/12-13/स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29/08/2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त चंबल संभाग जिला मुरैना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 10/7/19 को आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हौं।</p>	(आर0के0 जैन) 16.5.19 सदस्य